न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—142/2014/225 (2014/00142)

1. श्रीमती माया देवी पत्नि स्व0 जगदीश सिंह पुत्रवधु स्व0 गोपालसिंह,
2. अमितसिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह पौत्र स्व0 गोपालसिंह,
3. संजयसिंह उर्फ नवीन पुत्र स्व0 जगदीश सिंह पौत्र स्व0 गोपालसिंह,
4. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 जगदीश सिंह पौत्री स्व0 गोपालसिंह पत्नि छगनसिंह,
5. सुश्री शोभा देवी पुत्री स्व0 जगदीश सिंह पौत्री स्व0 गोपालसिंह,
6. श्रीमती राधा देवी पत्नि स्व0 किशोरसिंह पुत्रवधु स्व0 गोपालसिंह,
7. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 किशोर सिंह पौत्र स्व0 गोपालसिंह,
8. सुश्री प्रतिमा पुत्री स्व0 किशोर सिंह पौत्री स्व0 गोपालसिंह,
9. सुश्री आकांक्षा पुत्री स्व0 किशोर सिंह पौत्री स्व0 गोपाल सिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ईश्वरी सत्संग के पास, लौंगिया मौहल्ला, देहली गेट के बाहर, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 बसंत सिंह पुत्रवधु स्व0 देवीसिंह,
2. भंवरसिंह पुत्र स्व0 बसंतसिंह पौत्र स्व0 देवीसिंह,
3. महेश सिंह पुत्र स्व0 बसंत सिंह पौत्र स्व0 देवीसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर ।

4. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह पौत्र स्व0 इन्दरसिंह, जाति रावत, हाल निवासी मकान नं0 6—जी, 21 विस्तार योजना विज्ञान नगर, कोटा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 17.1.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 53/2013.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 17.1.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0

1955 विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि आधारभूत खसरा नंबर 281, 282, 361, 362, 370, 372, 371, 374, 627, 629 एवं 628 की कृषि भूमियां ग्राम केसरपुरा, तहसील पीसांगन में अवस्थित है जो अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पूर्वाधिकारी देवीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह का 1/2 हिस्सा एवं गोपाल पुत्र इन्द्रसिंह का 1/2 हिस्सा निहित होकर संयुक्त खातेदार काबिज काश्त रहे है, जिनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 विधिक वारिसान होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । इस प्रकार आराजी मुतनाजा में अपीलांट संख्या 1 से 5 का 1/6 हिस्सा, अपीलांट संख्या 6 से 9 का 1/6 व रेस्पो0 संख्या 4 का 1/6 हिस्सा कुल 1/2 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा विधि अनुकूल निहित करता है । इन भूमियों का आज दिवस तक सह खातेदारान के मध्य किसी प्रकार से विधिक विभाजन नहीं हुआ है परन्तु रेस्पो0 संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमियों को बिना विधिक विभाजन कराये उसके विशेष भू–भाग को अपरिचित तृतीय व्यक्ति के हक में रहन, बय, मुंतकिल किये जाने पर आमादा है । अतः मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पे0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 17.1.2014 को प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि का विधिक विभाजन होने की तिथि तक उसके विशेष भू–भाग को विक्रय किये जाने का विधि के तहत किसी भी सह–खातेदार को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं करता है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस हेतु अपूर्ण होकर रेस्पो0 संख्या 4 की तलबी होना तथा जवाब सरकार प्रस्तुत होना शेष था । पत्रावली पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 4 की तलबी पूर्ण नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अभिभाषक की उपस्थिति अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से अपनी आदेशिका दिनांक 9.10.2013 में उपस्थिति अंकित कर जवाब सरकार प्रस्तुत होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार अपीलांटस विवादित आराजियात के सहखातेदार होकर काबिज काश्त है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की समान स्थिति होकर प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष में होना उल्लेखित कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में उल्लेखित परिभाषा एवं प्रावधानों के तहत केवल मात्र आशंका के आधार पर भी व्यथित पक्षकार स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने का विधि के तहत अधिकारी है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा अपने हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दिये जाने के तथ्य भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष सिद्ध कर दिये गये है जिससे संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि बाबत् पूर्ण विवाद सिद्ध हो गया था । इसके उपरांत भी

अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पो0 को अपीलांटस की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर एक तरह से अविधिक कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 17.1.2014 की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.1.2014 को प्राप्त कर अपील तैयार कराते हुए सूचित कर दिया था परन्तु प्रार्थीगण की ओर से उक्त संपूर्ण प्रकरण की जानकारी एवं पैरवी प्रार्थी संख्या 2 अमितसिंह द्वारा की जाती रही है परन्तु दिनांक 28.1.2014 को उसके हृदय संबंधी बीमारी होने से उपचाररत् रहते हुए अस्पताल में भर्ती रहने से निर्धारित समयावधिं में अपील प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका जिसकी देरी का पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जो उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है । रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजियात का बेचान नहीं किया जा रहा है विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मौखिक विभाजन हो चुका है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 विवादित आराजियात के सहखातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस ने विभाजन का वाद प्रस्तुत न कर धारा 188 एवं 92–ए के तहत वाद पेश किया है जो अपीलांटस की दुर्भावना को दर्शाता है । एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी होने का कथन कर संयुक्त रूप से काबिज काश्त होने का कथन किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अविभाजित आराजियात है जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है । विधि अनुसार एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत

नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.1.2014 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर